तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2375/2007/बूंदी लाखा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित :–

श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री शिवप्रकाश चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता

–आदेश–

1– यह अपील अंतर्गत धारा 23 (2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बूंदी द्वारा सिलिंग प्रकरण संख्या 59/सिलिंग/06 बउनवानी सरकार बनाम लाखा वल्द गोमदा मीणा जरिये कायमुकाम में दिनांक 03–01–2007 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी जैर के रिकार्डेड खातेदार अपीलार्थीगण के पूर्वज लाखा के विरूद्ध सिलिंग अधिनियम के तहत सीलिंग कार्यवाही दिनांक 15–10–1975 को समाप्त कर दी गई थी। तत्पश्चात् राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के तहत धारा 15 (1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत सीलिंग कार्यवाहीं की गई तथा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त भूमिधारी के खाते में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानते हुए 108 बीघा 15 बिस्वा भूमि को राज्यहित में अधिग्रहण करने के आदेश दिनांक 03–01–2007 को प्रदान किये गये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), बूंदी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है

3– उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 1798/75 बउनवानी सरकार बनाम लाखा में दिनांक 15–10–1975 को निर्णय पारित करते हुए नये सीलिंग कानून के तहत प्रारम्भ की गई कार्यवाही में कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर उक्त कार्यवाही को ड्रोप कर दिया गया था। परन्तु उक्त कार्यवाही के उपरान्त भी नये सीलिंग कानून के तहत अपीलार्थीगण के पिता के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनके धारण की भूमि की गलत व्याख्या करते हुए बिना किसी ठोस आधार के वादग्रस्त भूमि के अधिग्रहण के आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2375/2007/बूंदी लाखा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रदान कर दिये गये। जबकि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज के विरूद्ध पहले सीलिंग प्रकरण के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण बंद किया जा चुका है तत्पश्चात उसके खिलाफ सिलिंग की कार्यवाहीं गलत रूप से की गई है। विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी भूमि रही है तथा आराजी जैर के रिकार्डेड खातेदार द्वारा अपने धारण की भूमि की वसीयत अपने भाई रामनारायण के पुत्रों के पक्ष में निष्पादित कर दी गई थी तथा उक्त वसीयत के करीब पाँच माह उपरान्त लाखा की मृत्यु हुई है। उक्त तथ्य को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए ध्यान में नहीं रखा गया है। इसी क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 176 बीघा 05 बिस्वा भूमि अकेले लाखा के धारण की भूमि माना गया है जबकि उक्त भूमि में लाखा का भाई रामनारायण सह खातेदार रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रति ईकाई की गणना विधि सम्मत् तरीके से नहीं गई है।

5– उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान जमाबन्दी के अनुसरण में स्टेण्डर्ड एकड़ की गणना करते हुए सिंचाई क्षमता के संबंध में एक फसली एवं दो फसली की गणना भी सही तरीके से नहीं गई है नाही उक्त के संबंध में कोई रिपोर्ट ही संबंधित तहसीलदार से प्राप्त की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सर्वप्रथम पुराने सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही समाप्त करने के उपरान्त भी विधि विरूद्ध तरीके से नवीन सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही निष्पादित की गई है वहीं आराजी जैर की वसीयत, सहखातेदार के प्रश्न एवं आराजी जैर के खातेदार लाखा द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित वसीयत आदि के प्रश्नों का निर्धारण किये बिना ही अपीलार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी भूमि को सिलिंग सीमा में मानते हुए अधिग्रहण के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये है। वादग्रस्त भूमि सीलिंग कानून के प्रारम्भ से ही रखी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत को नहीं माना। जबकि उक्त हस्तान्तरण धारा 30 डी एवं 30 डीडी के तहत मान्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण को पूर्ण समझे बिना एवं नियमों के प्रावधानों के विपरीत अपीलार्थीगण के पूर्वज के धारण की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से अधिग्रहित करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त फरमया जावे।

6– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि भूमिधारी के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित होने के कारण नये सीलिंग कानून के प्रावधानों के तहत सीलिंग सीमा से अधिक धारित भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रथम दृष्ट्या दिखाई देने वाली ऐसी कोई त्रुटि एवं किसी प्रकार की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2375/2007/बूंदी लाखा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवैधानिकता नहीं है, जिसे अपील के माध्यम से निरस्त करवाया जाकर आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, अपील ज्ञापन के तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का गहनता से आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8– हस्तगत् प्रकरण में धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रकरण को रिओपन किये जाने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहित करने के आदेश दिये है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का मुख्य कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को मान्यता नही दी तथा वसीयत की गई भूमि को भी सीलिंग सीमा के तहत गणना करते समय निर्धारिती की ही मानी तथ इसी अनुरूप कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् लाखा एवं उसके भाईयों के धारण की भूमि की सही गणना नहीं की गई है तथा इसी अनुरूप जमाबन्दी संवत् 2022–2025, 2028–2047 एवं 2034–2036 के अनुसरण में अपीलार्थीगण के पूर्वज लाखा के धारण की भूमि की सही गणना नहीं की गई है। इस सबंध में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते हुए ग्राम धनातरी की जमाबन्दी सवंत् 2034–2036 के अनुसार लाखा के खाते में 38 बीघा 14 बिस्वा नहरी भूमि दोयम दर्ज होने, जमाबन्दी संवत् 2028–2047 के अनुसार 67 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज होने एवं जमाबन्दी सवंत् 2022–2025 के अनुसार लाखा एवं उसके भाई रामनारायण के खाते में 139 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज होने के आधार पर लाखा अकेले के धारण में 176 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज होना पाया गया है तथा चम्बल एरिया कमाण्ड होने के कारण उक्त भूमि प्रथम चरण की भूमि होने एवं सिंचाई क्षमता 76 प्रतिशत होने के आधार पर कुल 176 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारित करने का अधिकारी मानते हुए शेष भूमि अर्थात 108 बीघा 15 बिस्वा भूमि को अधिग्रहित करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम यह अभिलिखित किया जाना अपरिहार्य है कि वसीयत उसके कर्ता की मृत्यु के उपरांत प्रभाव में आती है तथा वसीयत के माध्यम से भी सिलिंग कानून को विफल नहीं बनाया जा सकता तथा निगरानीधीन आलोच्य आदेश दिनांक 03–01–2007 में न्यायालय अपर कलक्टर सीलिंग, बूंदी द्वारा यह निष्कर्ष भी पारित किया गया है कि निर्धारित दिनांक 01–01–1973 को लाखा जीवित था। ऐसी स्थिति में भूमिधारी लाखा निर्धारिति के परिवार में एक युनिट सदस्य होने के कारण 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखने के अधिकारी थे तथा उनके पास सीलिंग कार्यवाहीं प्रारम्भ करते समय 176 बीघा 05 बिस्वा भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि में से एसेसी के परिवार में एक सदस्य ही होना प्रमाणित होना मानते हुए कुल 176 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से नये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/2375/2007/बूंदी लाखा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीलिंग कानून के तहत 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारण योग्य मानते हुए एवं शेष भूमि 108 बीघा 15 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये अधिग्रहित करने के आदेश दिये है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है। 9– परिणामतः हस्तगत् अपील अस्वीकार कर खारिज पाई जाती है तथा अपर जिला कलेक्टर सीलिंग, बूंदी का आक्षेपित आदेश दिनांक 03–01–2007 यथावत बहाल रखा जाता है। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभय पक्षों को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश कुमार दड़िया)** **सदस्य**	